



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4620]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2018/अग्रहायण 6, 1940

No. 4620]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2018/ AGARHAYANA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2018

का.आ. 5841(अ).—यतः, मै० क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पंजाब राज्य में एक निजी संगठन है, ने पंजाब राज्य के जिला मोहाली, फोकल पॉइंट इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज VIII-एक्सटेंशन में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का. आ. 1898(अ) दिनांक 2 नवम्बर, 2006 तथा का. आ. 2179(अ) दिनांक 26 अगस्त, 2014 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 13.75 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित तथा 3.63 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै० क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 5.03 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, पंजाब सरकार ने उनके पत्र सं. एसईजेड/क्वार्कसिटी/सन/569 दिनांक 16.02.2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 5.03 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संतुष्टि की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से **5.03 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **5.09 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	ए-40ए	5.03
	कुल	5.03
	उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	5.09

[फा. सं. एफ. 2/7/2005—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2018

S.O. 5841(E).—Whereas, M/s. Quarkcity India Private Limited, a private organization in the State of Punjab, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology at Focal Point Industrial area, Phase VIII-Extension, District Mohali, in the State of Punjab;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 13.75 hectares and de-notified an area of 3.63 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1898(E) dated 2nd November, 2006 and S.O. 2179(E) dated 26th August, 2014, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Quarkcity India Private Limited has now proposed to de-notify an area of 5.03 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Punjab has given their approval to the proposal vide letter No. SEZ/Quarkcity/Sun/569 dated 16.02.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 5.03 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 5.03 hectares**, thereby making resultant area as **5.09 hectares**, comprising the survey number and the area given below in the table, namely:—

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Plot No.	Total area (in Hectares)
1.	A-40A	5.03
	Total	5.03
Grand Total Area of SEZ after above deletion		5.09

[F. No. F.2/7/2005-SEZ]
B.B. SWAIN, Addl. Secy.